बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

दिनांक–26.08.2016 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में अल्प वर्षापात की स्थिति से निपटने हेतु आपदा प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक की कार्यवाही:–

उपस्थिति :–

1. विकास आयुक्त, बिहार
2. कृषि उत्पादन आयुक्त
3. प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग,
4. प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
5. प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
6. प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग
7. प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग
8. प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
9. सचिव, स्वास्थ्य विभाग
10. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
11. निदेशक, कृषि विभाग
12. निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
13. अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग

प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बताया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वराज अभियान बनाम भारत संघ एवं अन्य में पारित न्यायादेश में जिले/प्रखंड को इकाई मानते हुए सुखाड़ के संबंध में कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है। पारित न्यायादेश में वर्षापात को भी महत्वपूर्ण संकेताक के रूप में सुखाड़ की घोषणा का आधार माना गया है। मानक संचालन प्रक्रिया में पूर्व में कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के सुखाड़ प्रबंधन हस्तक (Manual for Drought Management) के आधार पर माह जुन–जुलाई में वर्षापात में 50% से ज्यादा की कमी, माह जुलाई–अगस्त में फसल आच्छादन, में 50% से ज्यादा की कमी, मृदा नमी संकेताक, वानस्पतिक संकेताक, आदि को सुखाड़ घोषणा का आधार माना गया था। परन्तु कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इसे Recommendatory बताया गया है। इसके आलोक में सुखाड़ घोषित किये जाने हेतु सुखाड़ आपदा प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रकिया के अध्याय 7 एवं 8 में सुखाड़ घोषित किए जाने हेतु निम्नलिखित संशोधन किया गया हैं –

1. 15 अगस्त तक वर्षापात में 40 प्रतिशत अथवा 40 प्रतिशत से अधिक की कमी, अथवा

2. 15 अगस्त तक फसल आच्छादन में 50 प्रतिशत अथवा 50 प्रतिशत से अधिक की कमी।

- इन दो स्वतंत्र आधारों के साथ निम्न आधारों पर भी समेकित रूप से विचार किया जा सकता है:–
  I. मॉनसून के आगमन में देरी अथवा मॉनसून के कमजोर रहने संबंधी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान
  II. वर्षा की कमी के कारण भूजल एवं सतही जलस्रोतों के स्तर में कमी
  III. वर्षापात में कमी के कारण फसलों का सूखना/मुरझाना (wilting)
  IV. वर्षापात की कमी के कारण धान के खेतों में नमी का कम होना
  V. मॉनसून की समय पूर्व वापसी
- यदि राज्य में दक्षिण–पश्चिम मॉनसून अवधि में बिलकुल ही वर्षा न हो, तो उपरोक्त संकेतांकों के विश्लेषण की आवश्यकता नहीं रह जाती एवं राज्य सरकार स्थिति का आकलन कर सुखाड़ की घोषणा करेगी।
- राज्य सरकार सम्पूर्ण जिले अथवा प्रखण्ड में सुखाड़ घोषित करने का निर्णय ले सकती है।

<u>प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा सुखाड़ घोषित करने की प्रकिया में किये गये संशोधन के बारे में बताया गया, जो निम्न है</u> : –

- 15 अगस्त के बाद स्थितियों की समीक्षा एवं संकेतांकों के सम्यक विश्लेषण के पश्चात संबंधित जिला पदाधिकारियों से उनके जिलों/ प्रखण्डों में खरीफ फसलों के आच्छादन, वर्षापात की स्थिति एवं अन्य संकेतांकों के आलोक में स्पष्ट अनुशंसा प्राप्त की जाएगी।
- यदि राज्य सरकार आवश्यक समझे तो प्रमंडलीय आयुक्तों/ जिलों के प्रभारी सचिव अथवा राज्य स्तर के पदाधिकारियों की टीम भेज कर जिलों/ प्रखण्डों की जमीनी हकीकत का पता लगा सकती है तथा सुखाड़ घोषित करने के संबंध में उनकी अनुशंसा प्राप्त कर सकती है।
- प्राप्त अनुशंसाओं पर सम्यक विचार कर आपातकालीन प्रबंधन समूह प्रभावित क्षेत्रों को सुखाड़ग्रस्त (आपदाग्रस्त) घोषित करने के संबंध में राज्य स्तर पर अनुशंसा करेगा।
- तत्पश्चात् कृषि विभाग के द्वारा विधिवत प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा जाएगा।
- आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में संलेख तैयार किया जाएगा तथा इसका अनुमोदन राज्य सरकार (मंत्रि परिषद्) से प्राप्त कर सुखाड़ की घोषणा हेतु अधिसूचना निर्गत किया जाएगा, जिसके आलोक में विभिन्न विभागों द्वारा कार्रवाई प्रारम्भ कर दी जाएगी।
- आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा विभिन्न जिलों एवं विभागों से प्राप्त क्षति के आकलन के आधार पर आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय आपदा रिस्पांस कोष से

केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु मेमोरैण्डम तैयार किया जाएगा, जिसे केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा।

- यदि सुखाड़ग्रस्त क्षेत्रों में क्षति के आकलन हेतु केन्द्रीय टीमों का भ्रमण होता है तो उक्त भ्रमण का समन्वय का कार्य संबंधित विभागों/ जिला पदाधिकारियों के साथ भ्रमण के दौरान समन्वय का कार्य आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा किया जाएगा।

प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा यह भी बताया गया कि 15 अगस्त 2016 के बाद 7 जिला यथा, पूर्वी चम्पारण, खगड़िया, मुंगेर, सहरसा, सारण, शिवहर और सीतामढ़ी में वर्षापात में 40 प्रतिशत या उससे अधिक की कमी थी। जबकि यह कमी दिनांक– 25.08.2016 तक बढ़कर कुल 10 जिला यथा, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, खगड़िया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, सहरसा, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी एवं वैशाली में पायी गई है। दिनांक–15 अगस्त के बाद 152 प्रखंडों में वर्षापात में 40 प्रतिशत या उससे अधिक की कमी थी जबकि यह कमी दिनांक–25.08.2016 तक बढ़कर 166 हो गये। 16 अगस्त 2016 तक धान का आच्छादन 50 प्रतिशत से कम 4 प्रखंडों में यथा डुमरिया, बाकेंबजार, राजगीर एवं बलिया तथा धान एवं मक्के का आच्छादन 50 प्रतिशत से कम 3 प्रखंडों यथा डुमरिया, बाकेंबजार एवं राजगीर में पाया गया था जो 24 अगस्त 2016 तक धान का आच्छादन 50 प्रतिशत से कम मात्र दो प्रखंड़ों यथा राजगीर एवं बलिया में पाया गया जबकि 50 प्रतिशत से कम धान एवं मक्का का आच्छादन वाले प्रखंडों की संख्या शून्य है

मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि उपर्युक्त संकेतांकों में भू–जल एवं सतही जल में कमी के लिए विभिन्न प्रखंडों के आंकड़े लघु जल संसाधन विभाग तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जाय एवं जिन प्रखंडों में 40 प्रतिशत या उससे अधिक वर्षापात में कमी पायी गई है उन जिलों के जिला पदाधिकारियों से संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप वर्षापात, आच्छादन, फसल की स्थिति, खेतों में नमी की स्थिति, भू–जल तथा सतही जलस्रोतों की स्थिति का प्रतिवेदन उनके मंतव्य के साथ प्राप्त करने का निदेश दिया गया, ताकि उसके आधार पर स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक निर्णय लिया जा सके।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।

ह0/–
(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव,
बिहार

ज्ञापांक 1प्रा0आ0–07/2014 (खण्ड–II)...../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/ खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/ लघु जल संसाधन विभाग/ ऊर्जा विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/ कृषि विभाग/ स्वास्थ्य विभाग/ ग्रामीण विकास विभाग / अध्यक्ष, बिहार राज्य पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड/निदेशक, कृषि विभाग/निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय/

निदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(अनिरूद्ध कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 1प्रा0आ0–07/2014 (खण्ड–II) 3298 /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 1/9/16

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/ विकास आयुक्त बिहार के प्रधान आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव /प्रधान सचिव के आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग/आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव